17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

कदमा नं0 30/2019

न्शी पुत्र चांदमल जाति मेव निवासी ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी

बनाम वादी

1. उम्मर पुत्र मौहर खां
2. फत्ती
3. हाकम पिसरान रमजा
4. साहुन
5. फारूख पिसरान मौहर खां
6. रहीस पुत्र शेरा जाति मेव निवासी ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री सतीश शर्मा वकील वादी
2. श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रतिवादीगण

दिनांक :– 10/08/2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 183, 188, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि 894/627/0.06 बांके ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है और प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है वादी अनपढ व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने लठ्ठ व ताकत के बल पर वादी की आराजी में कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण कर लिया है और बाकी हिस्से पर पक्का निर्माण करने की फिराक में है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी की सम्पूर्ण आराजी पर नाजायज कब्जा कर उसे बेदखल करना चाहते है। वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा छोडने की कहा तो प्रतिवादीगण टालम टोल करते रहे लेकिन दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

/03/2019 को प्रतिवादीगण ने कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया । विधि जह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा वापसी पाने का धिकारी है। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द रमाया जावे कि वह वादी की कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा ब्जा नाजायज किया गया है जिसे वादी की आराजी पर से बेदखल किया जावे गैर वादी को कब्जा वापसी दिलाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म म्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की आराजी पर कब्जा ाजायज ना करे एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन ालब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये । प्रतिवादी संख्या 6 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं ाया। इसके विरूद्ध दिनांक 28/05/2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई ाई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि आ0मुत0 894/627/0.06 है0 बांके ग्राम जीराहेडा की आबादी के बीचों बीच में स्थिति होने के कारण आ0मुत0 में कोई फसल पैदा नहीं होती है। बल्कि रिहायश के उपयोग व उपभोग में आ रही थी कि मुन्शी वादी के दादा मोहर सिंह ने आज से लगभग 70-80 साल पूर्व एक मुश्त राशि 300/-रूपया में उदयभान रमजान व भप्पू को आवासीय उपयोग व उपभोग को हमेशा-हमेशा के लिए बता दिया था। उस वक्त उदयभान , रमजान, व भप्पू ने कच्चे मकान बना लिये भप्पू ने अपना रिहायशी मकान प्रतिवादी नं0 6,7,8, को दे दिया जिसमें प्रतिवादी सं0 6,7,8 मकान निर्माण कर रिहायश करते चले आ रहे है। और उदयभान के गूजर जाने के बाद उसके लडकों प्रतिवादीनं0 1,4,5, ने तीन पक्के कोठे उस पर चौबारे व एक बैठक पक्की बनाकर रिहायश कर रहे एवं रमजान के गूजर जाने के बाद उसके लडके प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने पांच पक्के कमरे, लैट्रीन , बाथरूम बना रखे जिसमें नल बिजली व पानी के लिए समरशल लगा रखी है। जिसमें बिजली का कनैक्शन हम प्रतिवादीगण के नाम जिसके बिल का भुगतान हम प्रतिवादीगण करते चले आ रहे है। वादी ने अपने वाद पत्र में विधि विरूद्ध कथन दर्ज कर न्यायालय को गुमराह करते उक्त वाद पत्र पेश किया है। जबकि सम्पूर्ण आ0मुत0 के रकबा की बाबत वादी को वाद पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं होने के कारण वाद वादी काबिले खारजी के है। आ0मुत0 का आवासीय उपयोग व उपभोग में आ जाने के कारण न्यायालय श्रीमान को मुकदमा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः जबाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 1 :– आया प्रतिवादीगण ने आराजी मुतदाविया के कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण कर नाजायज कब्जा कर लिया है। जिससे वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा वापिस पाने का अधिकारी है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया वादी प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

तनकी संख्या 3 :– आया मुन्शी के दादा मोहर सिंह ने आराजी मुतदाविया को 70–80 साल पूर्व एक मुश्त राशि 300/–रूपये में उदयभान, रमजान, भप्पू को आराजी उपयोग व उपभोग को हमेशा–हमेशा को बता दी थी।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया में लगभग 70–80 सालों से पक्के मकान निर्माण कर रिहायश करते चले आ रहे है। इसलिए न्यायालय श्रीमान को मुकदमा सुनने का अधिकार हासिल नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

दादरसी 5 :–

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 मुन्शी , पी0डब्लू0 2 हस्सन, पी0डब्लू0 3 मलखां के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश ना होने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 फत्ती, डी0डब्लू02 उमर, डी0डब्लू03 अब्दुल, डी0डब्लू0 4 सम्मा , डी0डब्लू0 5 जब्बार के शपथ पत्र पेश किये । अन्य कोई साक्ष्य पेश ना होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 पेश की। प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बिजली बिल रमजान सन् 2013 दिनांक 08/03/13 , सन् 2017, सन् 2018 , सन् 2019 , कुल किता 10 , नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2076, 2075, 2071, 2067, पेश की।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई । वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया । वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि वादी विवादित आराजी का अकेला खातेदार नही है। विवादित आराजी के वादी के अलावा अन्य खातेदार भी है। वादी का आराजी पर केवल 1/12 हिस्सा है ।वादी ने आराजी पर किस दिशा में अपना अधिकार/कब्जा है वो भी नहीं दर्शाया है। साथ ही अन्य सह खातेदारो को भी आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है । कुल भूमि

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

0.06 है जिसमें वादी का हिस्सा 1/12 है अर्थात वादी के हिस्स में 50 वर्गमीटर भूमि आती है। ऐसे में इतनी सी भूमि पर काश्त करना या होना संभव नहीं है। मुताबिक खसरा गिरदावरी भूमि पडत रही है। इस भूमि पर काश्त नहीं हुई है। वादी द्वारा अपने दावा को सिद्व करने के लिए कोई मौका रिपोर्ट भी नही मंगवाई गई है। वादी ने अपने दावा में दावा डायरी से पांच वर्ष पूर्व कब्जा होना बताया है। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह PW2-हस्सान ने स्वयं स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर पहले उदयभान, रमजान एवं भप्पू के पशु बंधे रहते थे जिनके कच्चे पक्के मकान भी थे। विवादित आराजी पर पूरी भूमि पर मकानात बने हुए हैं। प्रस्तुत गवाह PW2-हस्सन स्वयं आराजी का सहखातेदार भी है। वादी स्वयं गवाह PW2-मुंशी ने स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर खेती नही होती है। विवादित आराजी पर कभी कोई फसल नही हुई है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही है।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया प्रतिवादीगण ने आराजी मुतदाविया के कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण कर नाजायज कब्जा कर लिया है। जिससे वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा वापिस पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी ने यह दावा राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत प्रस्तुत किया है। वादी आराजी खसरा नम्बर 894/627/0.06 का 1/12 हिस्से का खातेदार है। वकील वादी ने इस आधार पर ही दावा डिक्री करने का निवेदन किया है। परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये है कि प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी पर नाजायज कब्जा किया है।

परन्तु यहाँ वकील प्रतिवादीगण का यह कथन है कि वादी विवादित आराजी का अकेला खातेदार नही है। विवादित आराजी के वादी के अलावा अन्य खातेदार भी है। वादी का आराजी पर केवल 1/12 हिस्सा है ।वादी ने आराजी पर किस दिशा में अपना अधिकार/कब्जा है वो भी नहीं दर्शाया है। साथ ही अन्य सह खातेदारो को भी आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है । कुल भूमि 0.06 है जिसमें वादी का हिस्सा 1/12 है अर्थात वादी के हिस्से में 50 वर्गमीटर भूमि आती है। ऐसे में इतनी सी भूमि पर काश्त करना या होना संभव नहीं है। मुताबिक खसरा गिरदावरी भूमि पडत रही है। इस भूमि पर काश्त नहीं हुई है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी0डब्लू0 2 हस्सन ने स्वयं माना है कि इस जमीन पर उदयभान, रमजान, भप्पू के

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कच्चे पक्के मकान थे विवादित आराजी पर उसके बाद प्रतिवादीगण के मकान बने है एवं सम्पूर्ण भूमि पर मकानात बने हुये है । यहाँ यह तथ्य की दावा दायरी से 5 वर्ष पूर्व कब्जा हुआ है संदेह उत्पन्न करता है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो द्वारा यह कथन किया है कि संपूर्ण भूमि पर मकानात बने हुये है। वादी स्वयं ने स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर खेती नही होती है। विवादित आराजी पर कभी कोई फसल नही हुई है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही है।

इस प्रकार वादी यह प्रमाणित करने में निष्फल रहा है कि वादग्रस्त आराजी पर उसके द्वारा काश्त की जा रही थी एवं प्रतिवादीगण द्वारा 5 वर्ष पूर्व ही कब्जा कर लिया गया है। क्योंकि वादी के स्वयं के साक्ष्यो ने पूर्व में भी उदभान, रमजान, भप्पू के समय से कब्जा माना है। वादी स्वयं ने विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही माना है। ऐसी स्थिति में वादी तनकी को सिद्व करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादी प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी तनकी संख्या 1 को सिद्व नही कर पाया है। इसलिए प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया मुन्शी के दादा मोहर सिंह ने आराजी मुतदाविया को 70–80 साल पूर्व एक मुश्त राशि 300/–रूपये में उदयभान, रमजान, भप्पू को आराजी उपयोग व उपभोग को हमेशा–हमेशा को बता दी थी।

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नही कराया है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाह DW2-उम्मर ने अपने बयानो में यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी को लिए हमें 70–80 वर्ष हो गये हैं। मेरे दादा ने यह जमीन 300 रू. में खरीदी थी, जिसकी कोई लिखा–पढी नही कराई थी। परन्तु वादी ने भी इस कथन को सिरे से खारिज नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण तनकी को आंशिक रूप से सिद्व करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से वहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया में लगभग 70–80 सालों से पक्के मकान निर्माण कर रिहायश करते चले आ रहे है। इसलिए न्यायालय श्रीमान को मुकदमा सुनने का अधिकार हासिल नहीं है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। मुताबिक खसरा गिरदावरी भूमि पडत रही है। इस भूमि पर काश्त नहीं हुई है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी0डब्लू0 2 हस्सन ने स्वयं माना है कि इस जमीन पर उदयभान, रमजान, भप्पू के कच्चे पक्के मकान थे विवादित आराजी पर उसके बाद प्रतिवादीगण के मकान बने है एवं सम्पूर्ण भूमि पर मकानात बने हुये है। वादी स्वयं ने स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर खेती नही होती है। विवादित आराजी पर कभी कोई फसल नही हुई है। जहॉ वादी स्वयं ने यह माना है कि विवादित आराजी पर कभी कोई फसल नही हुई है, तो यह बखूबी प्रमाणित है कि भूमि पर काश्त नही हो रही है। इसलिए न्यायालय को मुकदमा सुनने का अधिकार नही है। अतः यह तनकी भी वहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

दादरसी 5 :– तनकी संख्या 1,2 वादी के विरूद्व एवं तनकी संख्या 3,4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण काबिले खारिज है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

२३

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

कदमा नं0 30/2019
शी पुत्र चांदमल जाति मेव निवासी ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. उम्मर पुत्र मौहर खां
2. फत्ती
3. हाकम पिसरान रमजा
4. साहुन
5. फारूख पिसरान मौहर खां
6. रहीस पुत्र शेरा जाति मेव निवासी ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी खारिज किया जाता है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/08/. सन् 2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner